



ISO-9001:2008

# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

हापुड़ की विभिन्न योजनाओं में

## नीलामी

के माध्यम से

### बहुउद्देशीय भूखण्ड/सम्पतियों

को प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

व्यवसायिक  
एवं  
दुकान



स्पेयर  
पार्ट्स

पेट्रोल  
पम्प



बैंक एवं  
कार्यालय

स्कूल



आवासीय

## विवरण पुस्तिका एवं आवदेन पत्र Prospectus and Application Form

for allotment of Shop, Convenient Shopping, Commercial, Multiplex, Primary/Nursery School, Nursing Home, Offices, Bank, Restaurant, Godowns, Service Station, Dharam Kanta etc. and Residential Plots through auction in various schemes of Hapur-Pilkhwa Development Authority



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण Hapur-Pilkhuwa Development Authority

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में दुकान, कन्वीनियेंट शॉपिंग, व्यवसायिक, मल्टीप्लेक्स, प्राइमरी/नर्सरी स्कूल, नर्सिंग होम, कार्यालय, बैंक, रेस्टोरेन्ट, गोदाम, सर्विस स्टेशन, धर्म कान्टा इत्यादि एवं आवासीय भूखण्डों की नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें:

## 1. पात्रता:

- दुकान, कन्वीनियेंट शॉपिंग, व्यवसायिक, मूल हाउसिंग, अर्थव्यवस्था, गोदाम, स्कूल, नर्सिंग होम एवं दुकान भूखण्डों हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक अस्तित्व हो, नीलामी में भाग ले सकता है। भूखण्डों का आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जायेगा। फ्री-होल्ड आधार निस्तारण के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अधीन होगा।
- प्राइमरी/नर्सरी/इंटरमीडिएट स्कूल भूखण्ड के लिए आवेदन करने वाली संस्था को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, रीजिशन 8 कम्पनी / एक गैर लाभकारी संस्था अधिकांश ट्रस्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए। नर्सिंग होम भूखण्ड की नीलामी हेतु सम्बन्धित मेडिकल काउंसिल तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/भारतीय चिकित्सा परिषद आदि द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक अथवा नर्सिंग होम/अस्पताल संचालित करने हेतु गठित कंपनी/सोसायटी/फर्म ही आवेदन के लिए पात्र होगे।
- आवेदक/बोलीदाता आवेदन पत्र के साथ विवरण पुरितक में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड सपथ-पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।
- प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वाइन्ट हिन्दू फेमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। ऐसा पाये जाने पर भूखण्ड का विक्रय विलेख व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से निष्पादित किया जायेगा। भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियों नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं। उक्त फर्म/कम्पनियों के पक्ष में भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आवंटन के बाद फर्म/कम्पनी का नाम परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
- योजना व्यक्तियों/बिल्डरों/कम्पनियों/फर्मों हेतु खुली है।
- किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने हेतु अनुमति तब दी जायेगी जब वह विज्ञापन में प्रकाशित धरोहर राशि जमा करवाकर पंजीकरण करा लेगा। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र केनरा बैंक एच.पी.डी.ए. शाखा से रु. 1000 के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

## 2. नीलामी:

- दुकान, कन्वीनियेंट शॉपिंग, व्यवसायिक, मल्टीप्लेक्स, प्राइमरी/नर्सरी स्कूल, नर्सिंग होम, कार्यालय, बैंक, रेस्टोरेन्ट, गोदाम, फिलिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, धर्म कान्टा इत्यादि एवं आवासीय भूखण्ड नीलामी के द्वारा आवंटित किये जायेंगे। नीलामी का समय, स्थान एवं तिथि राष्ट्रीय समाचार पत्रों / हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है। बोलीदाता विवरण पुरितक में दी गई तालिका में निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं हापुड़ में भुगतान योग्य हो अथवा आर.टी.जी.एस / ऑनलाईन जमा करने के पश्चात् नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह बोली से पूर्व स्थल आदि का निरीक्षण कर लें। नीलामी के उपरान्त किसी भी तरह की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- कम्पनी/सोसायटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरान्डम ऑफ आर्टिकल एवं रिजोल्यूशन लैटर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु आर्थोटी लैटर भी संलग्न करना होगा।
- यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुरितक में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष/नीलामी अधिकारी सभी भूखण्डों अथवा किसी भी एक भूखण्ड की नीलामी प्राधिकरण हित/जनहित में स्थगित कर सकते हैं।
- सफल आवेदक को उच्चतम स्वीकृत मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समाविष्टित करते हुए) आवंटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भुगतान प्लान-ए अथवा प्लान-बी, जिसे वह चुने, द्वारा करना होगा।

Terms and conditions for allotment of Shops, Convenient Shopping, Commercial, Multiplex, Primary/Nursery School, Nursing Home, Offices, Bank, Restaurant, Godowns, Service Station, Dharam Kanta etc. and Residential plots Auction in various schemes of Hapur-Pilkhuwa Development Authority

## 1. WHO CAN APPLY:

- Shops, Convenient Shopping, Commercial, Multiplex, Primary/Nursery School, Nursing Home, Offices, Bank, Restaurant, Godowns, Service Station, Dharam Kanta etc. Any person competent to contract and having juristic personality may apply for allotment of the aforesaid property on a free hold basis in proposed auction sale. Free Hold Rights shall be subject to effective buildings by laws.
- The institution applying for primary/nursery/intermediate school plot must have been registered under registrar of societies, Section 8 Company / A non profit organization or trust. Only Registered Medical Practitioners affiliated by Medical Council of India or Firm/Society/Company duly registered under the Indian Companies Act or such other act may apply for allotment of Hospital/ Nursing Home Plot in proposed auction sale.
- Applicant/Bidder shall have to submit a notarised affidavit on prescribed proforma given in brochure in respect that he is efficient to deposit the required amount of money regarding cost of property if his bid is accepted.
- Bid on behalf of proposed company, unregistered firms, societies and joint Hindu family shall not be allowed. However, the companies and firms duly registered under Indian Company's Act Registrar of firms and societies are eligible to participate in the auction sale to get the sale deed executed in their favour. Name change will not be permissible after the allotment.
- The scheme is open for individuals, builders, companies / firms.
- No person shall be permitted to participate in the auction unless he deposits token money (Earnest Money) published in the advertisement and gets himself registered by filling an application form available at the Canra Bank, HPDA campus, Hapur on payment of Rs. 1000.

## 2. AUCTION:

- An open auction is to be held for allotment of Shops, Convenient Shopping, Commercial, Multiplex, Primary/Nursery School, Nursing Home, Office, Bank, Restaurant, Godowns, Filling Station, Services Station, Dharam Kanta etc. and Residential Plots. The time, place and date has been published in National Newspapers / H.P.D.A. Website The bidder can take part in the auction after depositing the prescribed earnest money given in the table though bank draft pledged in favour of Vice Chairman, Hapur-Pilkhuwa Development Authority, payable at Hapur or Through R.T.G.S / Online Bidders are advised to inspect the site, objection of any kind subsequent to the auction will not be entertained later on.
- If bidder is other than the individual it is essential to submit the relevant papers/the memorandum of articles, resolution letter of company/society/trust etc. & the representative should have authorisation letter for bidding the same.
- If any applicant authorises his representative for bidding in place of himself/herself, then submission of authority letter on prescribed proforma given in brochure is mandatory.
- Vice Chairman, HPDA reserves the right to accept or reject any bid and his decision will be final. Vice Chairman/Auction Officer, HPDA may postpone the auction for anyone or all plots in the interest of Authority or in public interest.
- 25% of total bid amount (including earnest money already deposited) must be deposited by highest bidder within 15 days from the date of allotment letter in case of default earnest money deposited by the bidder shall be forfeited.
- The successful bidder, i.e. whose bid is accepted by the Vice Chairman, HPDA shall deposit the bid amount through bank draft/pay order in favour of Vice Chairman, HPDA as per plan given. Bidder can adopt anyone payment plan.



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण Hapur-Pilkhua Development Authority

- (vii) भूखण्डों की नीलामी आरंभित वर से अधिक से आरंभ की जाएगी।  
(viii) कॉर्नर के भूखण्डों/सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा।  
(ix) नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च दरो पर उक्त वरों का 12 प्रतिशत सीज रेंट व वीहोल्ड चार्ज जोड़कर भूखण्ड/संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

## 3. भुगतान योजना:

### प्लान-ए

- ए-1 नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर तालिका के अनुसार।  
ए-2 कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।  
ए-3 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के लिए कुल बिड मूल्य का 25 प्रतिशत धरोहर राशि को समायोजित करते हुए आवंटन की तिथि से एक माह के भीतर जमा करना होगा।  
ए-4 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से 60 दिन के अन्दर बिना ब्याज के जमा करानी होगी।

### प्लान-बी

- बी-1 नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर तालिका के अनुसार जमा करना होगा।  
बी-2 कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।  
बी-3 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से 8 तिमाही किस्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करनी होगी।  
बी-4 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के लिए कुल मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) आवंटन की तिथि से एक माह के भीतर जमा करना होगा।  
बी-5 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के लिए अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से 4 वर्ष के अन्दर 8 छमाही किस्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करानी होगी।

- (vi) प्लान-बी के अन्तर्गत किस्त की निर्धारित देय तिथि के उपरान्त 14.50 प्रतिशत वार्षिक पेनल ब्याज देय होगा। तीन माह की अवधि तक भुगतान न करने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा धनराशि ब्रोकर की धारा 7.0 के अनुसार वापिस की जायेगी।  
(vii) यदि आवंटनी प्लान-ए स्वीकार करता है तो भूखण्ड का कब्जा आवंटनी द्वारा सम्पूर्ण देय धनराशि एवं समस्त शुल्क जमा करने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय विदेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। यदि आवंटनी प्लान-बी स्वीकार करता है तो आवंटनी को भूखण्ड का कब्जा कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबंध विदेख निष्पादित करा कर जायेगा। उपरोक्तानुसार भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवंटनी मवन निर्माण उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। आवंटनी को स्वयं के व्यय एवं जोखिम पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

- (viii) तालिका में अंकित भूखण्डों का क्षेत्रफल अनुमानित है, जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी, उसी आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत तक या अधिक भिन्नाता को स्वीकार करना होगा। उच्चतम बोली के अन्तर्गत भूखण्ड का मूल्य क्षेत्रफल के अनुसार घट या बढ़ सकता है, इसी के अनुसार आवंटनी को भूखण्ड के मूल्य का भुगतान करना होगा।

- (ix) आवंटनी द्वारा भूखण्ड को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु आवंटनी को भूखण्ड को बंधक रखने हेतु हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बंधक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटनी द्वारा वहन करना होगा।

- (x) यदि किन्ती कारणवश प्राधिकरण भूखण्ड का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है, तो विकल्प के रूप में अन्य भूखण्ड का प्रस्ताव दिया जा सकता है। यदि आवंटनी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचत खाते पर दिये जाने वाली ब्याज दर से नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ जमा धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

- (xi) समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से केनरा बैंक एच पी डी ए शाखा हापुड़ में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। ड्राफ्ट/पे ऑर्डर उपर्युक्त हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में एवं हापुड़ में देय होना चाहिए।

- (vii) The auction will be started above the reserved price.  
(viii) Corner charges @10% of bid value will be payable extra in case of corner plots/buildings.  
(ix) 12% free hold charges with the highest amount bid in auction and will comprise the plot/building price.

## 3.0 PAYMENT PLAN:

### Plan-A

- A-1 The draft /bank pay-order of the earnest money before the Auction-as per table.  
A-2 25% of total amount (including earnest money) must be deposited within 15 days from date of allotment.  
A-3 For Group Housing Plots, the allottee will have to deposit the 25% amount of total value (adjusting the earnest money) within a month.  
A-4 Balance 75% amount - within 60 days without interest from the date of allotment letter.

### Plan-B

- B-1 The bank draft/pay-order of the earnest money before the auction-As per table.  
B-2 25% of total amount (including earnest money) must be deposited within 15 days from date of allotment.  
B-3 Balance 75% amount in 8 quarterly installments with 12% interest per annum from the date of allotment letter.  
B-4 For Group Housing Plots, the allottee will have to deposit the 25% amount of total bid value (adjusting the earnest money) within a month.  
B-5 For Group Housing Plots balance 75% bid amount within 4 years in 8 half yearly installments with 12% interest per annum from the date of allotment letter.

- (vi) After the expiry of due date, penal interest @ 14.50% per annum, shall be charged on due amount of installment. However if due amount with penal interest is not paid within a period of 3 months from the expiry of due date, the allotment shall be cancelled and money deposited shall be refunded as per clause 7.0 of this brochure.

- (vii) If bidder adopts the pay Plan A, possession will be given after the full payment of the dues against the plot including the taxes and registered sale deed will be executed in favour of the allottee. If the allottee accepts the Plan B, then the possession of plot will be handed over to the allottee after the payment of 25% amount of total cost of the plot and a registered agreement to sale will be executed. Accordingly the bidder can plan a scheme for construction of the entire land within the prescribed by-laws of HPDA and can get the approval by HPDA, the bidder-allottee will be entitled to have plan sanctioned by the HPDA and start construction. The bidder shall be free to advertise the scheme and sell the build up space at his own cost and risk.

- (viii) The size of the plot announced by the HPDA being only approximate, the bidders whose bids are accepted shall have to accept variation up to 10% or more either way in the area of the plot, subject of course, to proportionate increase or decrease on auction sale price for the purpose of the payments. The auction price for all purposes shall be calculated by multiplying the highest auction bid by the total area of the plot actually made available consequent upon acceptance of the bid.

- (ix) The HPDA will have no objection to the bidder raising loan against the plot. In that case the bidder will execute a tripartite agreement and HPDA may permit mortgage of the property in question as may be deemed fit and necessary for raising loans by the bidder. However, all expenses for any such conveyance shall be borne by the bidder.

- (x) If authority can not deliver possession of plot due to any circumstances, as an alternative, the HPDA can offer another plot as an option or, as per rule, total amount deposited by the allottee will be refunded with simple interest.

- (xi) All payments-Bank Drafts/Pay Orders may be deposited in Canra Bank, HPDA Branch, Hapur, in favour of Vice Chairman Hapur Pilakhua Development Authority, Hapur from 10.00 am to 4.00 pm on all working days.



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण Hapur-Pilkhuwa Development Authority

## 4. विक्रय विलेख एवं फ्री-होल्ड अधिकार का निष्पादन:

- आवृत्ती को अपने खर्च पर भूखण्ड का विक्रय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पत्र पर अंतिम भुगतान की तिथि से 3 माह के अन्दर करना होगा।
- उक्त संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण आवृत्ती के रूप में प्रदान की जायेगी जो कि हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के द्वारा आवृत्ती के पक्ष में निर्धारित पत्र पर किये विक्रय विलेख में निहित नियमों व शर्तों के अधीन रहेगी।
- भूखण्ड पर भवन का निर्माण हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र एवं अनुबंध की शर्तों विधिओं के अनुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य अनुबंध की दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
- आवृत्ती को भूखण्ड को उप-विभाजित करने एवं अन्य किसी भूखण्ड के साथ आगमनित करने का अधिकार नहीं होगा।
- भूखण्ड एवं भूखण्ड पर निर्मित भवन का उपयोग मास्टर प्लान एवं विक्रय विलेख में निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। नीतामी हेतु परतावित भूखण्डों का भू-उपयोग विवरण पुस्तिका में दी गयी तालिका में अंकित है।
- आवृत्ती कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से समय-समय पर लागू होने वाली समस्त धूमिलिपय कर तथा अन्य कर जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर प्रकृत नियमों, उप-नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत परित किये जायेंगे, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- भूखण्ड की देयता के विरुद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाया की भाँति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली कार्यवाही कर सकता है।
- किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर भूखण्ड आवंटित होने की जानकारी होने पर किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण के द्वारा वापिस ले लिया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की धनराशि वापिस नहीं की जायेगी।
- निर्धारित विनियमों/मानकों के अनुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन भूखण्ड की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भूखण्ड पर आन्तरिक विकास कार्य आवृत्ती को स्वयं करना होगा।
- स्कूल / नर्सिंग होम के आवृत्ती के पक्ष में फ्री होल्ड डीड का निष्पादन सक्षम अधिकारी से प्राप्त मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही किया जायेगा।

## 5. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क:

भूखण्ड का रजिस्टर्ड अनुबंध/विक्रय विलेख निष्पादित करने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान आवृत्ती द्वारा वहन किया जायेगा। आवृत्ती द्वारा अर्जित सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।

## 6. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

- यदि आवृत्ती निर्धारित तिथि को भूखण्ड/भवन का विक्रय विलेख / कब्जा नियत अवधि में निष्पादन / प्राप्त नहीं करता है तो निर्धारित तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर धीकीदारा शुल्क आवृत्ती द्वारा देय होगा।
- भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध विधिसम्मत नियम व सुरक्षित धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण / सील की कार्यवाही की जायेगी।
- भूखण्ड/भवन का आवंटन "जहां है, जैसा है" के आधार पर होगा एवं आवृत्ती को भूखण्ड का कब्जा भी "जहां है, जैसा है, के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

## 4.0 EXECUTION OF SALE DEED & FREE HOLD RIGHTS:

- The allottee will have to get the sale deed executed at his own cost at the proforma fixed by the authority within three months from the date of last payment made.
- The aforesaid property shall be held by the bidder as the allottee of the HPDA on the terms and conditions prescribed by the Authority as contained in the sale deed to be executed by the bidder/allottee.
- The bidder/allottee shall complete the constructions of the building in accordance with plan approved by HPDA as per conditions of agreement and as per specifications prescribed by the HPDA within 5 years from the date of agreement which shall be the essence of contract.
- Allottee shall not be entitled to sub-divide the plot or to amalgamate it with any other plot.
- The plot and building thereon shall not be used for any purpose other than specified in the agreement executed by HPDA. The land use of the proposed plots in the auction as mentioned in the table of the brochure.
- The bidder or his allottee shall be liable to pay rates, taxes, charges and assessment of every description plot/building whether assessed, charged or imposed on that plot or on the building construction.
- The authority reserves the right to recover balance amount due against the plot. Any money due to the HPDA from the bidder or his allottee of the aforesaid property shall be recoverable as per arrears of land revenue from the bidder or his nominee by issuing the Recovery Certificate.
- If it is disclosed that the sale deed of the plot/property has been obtained by suppression of any fact or mis-statement or misrepresentation or fraud or if there is any breach of the conditions of the sale deed, the sale deed will be cancelled as also the possession of the property and the building thereon will be taken over by the authority, and the bidder will not be entitled to any compensation whatsoever nor for refund of any premium paid by him.
- The water supply, sewerage, drainage and electricity lines as per specifications and standard shall be provided up to the boundary of the property by HPDA. The internal work shall be completed by the bidder himself.
- Free Hold deeds shall be executed in favour of allottees of school / nursing homes after the submission of the certificate of recognition issued by the competent authority.

## 5.0 COST OF STAMP DUTIES:

The cost and expenses of preparation, stamp and registration for the agreement/ sale deed and its copies and all other incidental expenses shall be paid by the bidder. The bidder or his allottee shall pay the duty on transfer of immovable property levied by the municipal corporation or any other duty or charges as may be levied by any other Authority.

## 6.0 OTHER IMPORTANT CONDITIONS:

- If the allottee does not execute sale deed / Not take possession of the plot/flat within due date of sale deed / possession then he shall pay chaukidari charges.
- Any unauthorized construction by the auction purchaser on the allotted plot/flat, is liable to be demolished in accordance with the law in force.
- Plot/flat will be allotted on "As is-where is" basis and possession of plot will be given to allottee on "As is-where is" basis also. No objection will be entertained later.



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण Hapur-Pilkhua Development Authority

- (iv) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटनी को अपने खर्च पर लेने होंगे।
- (v) आवंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी जीएसटी आदि की देयता बनती है तो रोवाकर की धनराशि आवंटनी द्वारा अतिरिक्त देय होगी।
- (vi) आवंटित भूखण्ड पर भूखण्ड के गर्भ से प्राप्त होने वाले खनिजों, धातुओं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, तेल या गैस आदि की खानों पर हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का पूरा अधिकार होगा एवं प्राधिकरण को उक्त भूमि पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हेतु निर्माण कार्य करने, हटाने आदि के लिए हर समय पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। आवंटनी द्वारा भूखण्ड पर किए गये निर्माण को प्राधिकरण उपरोक्त अनुसंधान आदि के लिए हटाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटनी को होने वाली क्षति हेतु उचित मुआवजा दिया जायेगा। आवंटनी को दिये जाने वाले उचित मुआवजे का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। उस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा जो आवंटनी को मान्य होगा।
- (vii) भूमि सम्बन्धी अधिकार अर्जन सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत किये जाते हैं एवं भूखण्ड आवंटित करते समय प्राधिकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किये गये अभिनिर्णय (अवार्ड) के आधार पर भूखण्ड प्रीमियम मूल्य एवं लीज रेंट निर्धारित किया गया है परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान का देय प्रतिफल तोषण (सोलेसियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो संस्था को हुई वृद्धि के आदेश किये जाये तो संस्था को हुई वृद्धि पर हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांग पत्र की सूचना प्राप्त के तीन माह के अन्दर अदायगी करनी होगी। इसमें असफल रहने पर यह राशि भू-राजस्व की वसूली की भांति संस्था से वसूल किया जायेगा।
- (viii) नीलाभी आवंटन, मानचित्र स्वीकृति, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ix) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल हापुड़ न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार होगा।
- (x) विवरण पुस्तिका के किसी नियम/ शर्त पर विवाद की स्थिति में हिन्दी भाषा में अंकित नियम व शर्त मान्य होगी।
- (xi) किसी योजना के स्कूल भूखण्ड के आवंटनी को उसी योजना के ओपन स्पेस/ पार्क/ प्ले ग्राउण्ड/ ग्रीन बेल्ट आदि को नियमानुसार लीज पर दिये जाने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

## 7. समर्पण एवं निरस्तीकरण:

**भूखण्ड का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगी।**

- (i) यदि उच्चतम बोलीदाता आवंटन पत्र जारी होने से पूर्व समर्पण करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (ii) यदि आवंटनी आवंटन पत्र जारी होने के बाद आवंटन समर्पण करता है, तो उस स्थिति में धरोहर राशि जब्त करते हुए अवशेष जमा धनराशि पर 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- (iii) नियम व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा निरस्तीकरण किये जाने पर सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त किये जाने के अतिरिक्त शेष जमा धनराशि पर 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

## नोट:

- 1.1 बोलीदाता को किसी व्यक्ति/कम्पनी/सोसायटी को सम्पत्ति के विक्रय-विलेख करने से पूर्ण फ्री होल्ड, रटाम्प शुल्क, सामूहिक सेवाओं के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा सोसाइटी/सोसाइटिया बनाने हेतु शर्तों का समावेश करना होगा। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण बोलीदाता एवं उसके आवंटनी के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद में न तो हस्तक्षेप करेगा एवं न ही जिम्मेदार होगा।

- (iv) Electricity and water connection will be liability of allottee.
- (v) Service tax would be payable extra by allottee if applicable in future.
- (vi) The lessor reserves the right to all mines, minerals, coals, washing gold earth oil, quarries in or under the plot and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose to searching for, working and obtaining removing and enjoying the same without providing or provided always, that the Lessor shall make reasonable compensation to the Lessee for all damages directly orationed by exercise of the right hereby reserved. The decision of the HPDA on the amount of such compensation shall be final and binding on the applicant.
- (vii) The land right have been given to HPDA under land acquisition Act. Authority has fixed the cost of plot on the basis of to the award declared by SLAO. But if in future, by any Court's order or in any circumstances the amount of compensation is revised then it will be loaded at the plot and the allottee will have to pay it within 3 months from the demand raised by the authority. If the allottee fails to pay the enhance amount it may be recovered as the arrears of land revenue.
- (viii) Decision of the Vice Chairman, Hapur-Pilkhua Development Authority will be final in every matter related to the bid/sanction of building plans constructions etc. or related to any other matter.
- (ix) Hapur courts will have exclusive jurisdiction for adjudication of disputes with regard to his office.
- (x) In case of any dispute regarding terms and conditions mentioned in brochure, the terms & conditions mentioned in hindi language will prevail.
- (xi) For the lease of Park/Playground/ Green Belt etc. the preference will be given to the allottee of school plots in the same scheme of authority.

## 7.0 CANCELLATION/SURRENDER:

### NOTE:

- (i) If the higher bidder surrender before allotment latter than the earnest money deposited by the bidder shall be forfeited.
- (ii) If the allotted surrender the allotted property than the earnest money deposited by the allotted shall be forfeited with 10% deduction from rest deposited money and balance amount shall be refunded to the allotted without any interest.
- (iii) In case of violation of the terms and conditions, if the plot is canceled by the authority then total amount of earnest money shall be forfeited with 10% deducted from rest deposited money and balance amount shall be refunded to the allotted with out any interest.

- 1 The bidder shall be required to incorporate all conditions of freehold, stamps, repair, maintenance and running of common services and conditions for forming a society/societies etc. In sale agreement to any individual/company/societies etc. before recommending the name of such allottees about paying registration charges and maintenance etc. before selling the flats in the building. HPDA will neither entertain nor shall be responsible for any disputes between bidder and his allottee.

उपाध्यक्ष

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

Vice Chairman  
Hapur-Pilkhua Development Authority, Hapur



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण Hapur-Pilkhuwa Development Authority

शपथ-पत्र

सत्यापित फोटो

समक्ष:

उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण, हापुड़

मैं.....

पुत्र / पुत्री / पत्नी.....

जन्म तिथि..... आयु..... वर्ष (लगभग)

निवासी.....

निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।
2. यह कि मैं हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक..... को नीलाम किये जा रहे भूखण्ड / दुकान / भवन संख्या..... योजना..... हापुड़ की नीलामी में बोलीदात के रूप में प्रतिभाग कर रहा / रही हूँ।
3. यह कि मैं बोली सफल होने पर सम्पत्ति आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ।

यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारारों मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सब सत्य हैं कोई कथन असत्य नहीं है। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा / हूंगी।

स्थान:.....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(नोट: शपथ पत्र रु. 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये।)



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण Hapur-Pilkhuwa Development Authority

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा  
प्रस्तावित नीलामी में बोली लगायें जाने हेतु प्राधिकार-पत्र

सेवा में,

नीलामी अधिकारी  
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण,  
हापुड़

प्राधिकृत व्यक्ति  
का फोटो

महोदय,

मैंने हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक..... को नीलामी  
किये जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या..... योजना.....  
हापुड़ की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्हीं कारणों वश मैं उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं

श्री/कु./श्रीमति.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
आयु..... वर्ष (लगभग) निवासी.....

को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये हैं, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे  
अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय,

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम:

पता

हस्ताक्षर प्रमाणित



**हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण**  
**Hapur-Pilkhuwa Development Authority**

विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन-पत्र  
APPLICATION FORM FOR ALL ALLOTMENT OF PLOTS IN VARIOUS SCHEMES BY AUCTION

आवेदक पत्र संख्या: **403**  
Application Form No.

राजकीय अधिकारी / गैजेटेड  
पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो  
Paste a passport size  
photo attested by Gazetted  
Officer/Public Notary

1. आवेदक का नाम.....  
Name of the Applicant (in block letters)
2. पिता/पति का नाम.....  
Father/Husband's Name:
3. बोली स्वयं या कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट आदि द्वारा दी जा रही है।  
ए. यदि बोली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिउ दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं बोली दिये जाने हेतु एथोरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।  
(a) If big is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company, society, firm or trust and authorization letter should be produced  
बी. यदि बोली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिये दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।  
(b) If the bid is for company, society, firm or trust its registration letter should be produced.
4. उम्र: .....  
Age:
5. पूरा पता: .....  
Full Address:
- ए. स्थायी पता: .....  
Permanent Address:
- बी. पत्र-व्यवहार का पता: .....  
Correspondence Address:
- सी. टेलीफोन नं: ..... मोबाईल नं: ..... ई-मेल .....  
Telephone No/: ..... Mobile No/: ..... E-Mail:
6. ए. व्यवसाय: .....  
Occupation:
- बी. भुगतान प्लान का विकल्प: .....  
Payment plan adopted:
- सी. आवेदित सम्पत्ति का विवरण: .....  
Particulars of Property:
- 1 सम्पत्ति संख्या: ..... 2 सम्पत्ति का क्षेत्रफल: .....  
Property Number ..... Area of Property (sq.mts.)
- 3 योजना एवं ब्लॉक/सेक्टर: .....  
Name of the Colony & Sector
- डी. नीलामी का विवरण: .....  
1. नीलामी की तिथि .....  
Date of Auction  
2. जमा धरोहर राशि का विवरण .....  
Details of earnest money deposited
3. हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या ..... दिनांक .....  
HPDA's receipt No ..... Dated

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी / संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित कराउगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf/on behalf of the applicant above named to the Hapur-Pilkhuwa Development Authority, Hapur for allotment of the property described above, under the Hapur-Pilkhuwa Development Authority rules. I have read and understood all the conditions mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the Authority.

दिनांक .....  
Date

आवेदक के हस्ताक्षर .....  
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित .....  
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)  
(Officer conducting auction)

पदनाम .....  
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

(नोट-धारा 1 (iii) के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा)





ISO-9001:2008

## हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

(ISO-9001:2008 प्रमाणित संस्था)

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101,

वेबसाईट: [www.hpdaonline.in](http://www.hpdaonline.in), ई-मेल: [hpda\\_1@rediffmail.com](mailto:hpda_1@rediffmail.com)

"सुनियोजित विकास, आपकी आशा-हमारा ध्येय • जल संजय-जीवन संजय"

कार्यालय, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

